संख्या-63/2017-2936 ई-2/तेरह-2017-86/2016

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 18 नवम्बर,2017

विषय:-मे0 के0एम0 शुगर मिल्स लि0, मसौधा, फैजाबाद को एथेनाल आपूर्ति हेतु सहोदर चीनी मिल से शीरे के स्थानान्तरण की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-16/दस-शीरा-141/के0एम0/मसौधा/फैजाबाद, दिनांक 15 जून,2017, संख्या-जी-36/दस-शीरा-141/के0एम0/मसौधा/फैजाबाद, दिनांक 09 अगस्त,2017 तथा संख्या-जी-41/दस-शीरा-141/के0एम0/मसौधा/फैजाबाद, दिनांक 05 सितम्बर,2017 द्वारा संदर्भित प्रकरण पर दि0 08-11-2017 को अवस्थापना एवं औदयोगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न शीरा विचलन समिति की बैठक के कार्यवृत्त संख्या-2935 ई-2/तेरह-2017-86/2016, दिनांक 17 नवम्बर,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों दिनांक 15 जून,2017, दिनांक 08 अगस्त,2017 तथा 09 सितम्बर,2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मे0 के0एम0 शुगर मिल्स, मसौधा द्वारा शीरा वर्ष 2016-17 में नियमानुसार देय आरक्षित शीरे की मात्रा का सम्भरण नहीं कराया गया है। अत: डिफाल्टर होने के कारण समूह पर देय आरक्षित शीरे की मात्रा को अनारक्षित/फ्री सेल में परिवर्तित करने अथवा उसके स्वउपभोग की अनुमति देने का औचित्य नहीं बनता है और समूह पर आरक्षित शीरे की देयता यथावत् बनी रहेगी, जिसको नियमानुसार वसूल किया जाय।

कृपया तद्नुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in